

प्रपन्न-ख  
शपथ-पत्र



मेरा नाम श्रीमति विजय कुमारी  
उमेर 62 वर्ष, \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत  
मोहल्ला देखारा रोड पोस्ट पुण्ड्रान, धारा २४, जिला मुजफ्फरपुर  
बिहार चार निवारी है, तथा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती है:-

कि मैं अपना नाम निर्देशन पत्र \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर पंचायत मुजफ्फरपुर के तार्ड संख्या २४ के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निवाचित हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ:

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के उपबन्धों से पूर्णतः अवगत हूँ:

कि मैं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत \*नगर निगम/\*नगर परिषद/\*नगर

प्रभावित मुजफ्फरपुर के तार्ड २४ के \*पार्षद/\*उप मुख्य पार्षद/\*मुख्य पार्षद पद के निवाचित हेतु दाखिल कर रहा/रही हूँ:

कि संलग्न अनुसूचित में मेरे हाथ अकित की गई सूचनाएँ मेरे विश्वास एवं जनकर्म में सही और सत्य हैं।

श्रीमति विजय कुमारी

1. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - श्रीमति विजय कुमारी 21/09/22

नाम - श्रीमति विजय कुमारी

पता - देखारा रोड वराती गाँवी

मुजफ्फरपुर 21/09/2022

2. गवाह का पूर्ण हस्ताक्षर - श्रीमति विजय कुमारी 21/09/2022

नाम - श्रीमति विजय कुमारी

पता - देखारा रोड नियम लौहिया ओडिशा

स्थान : मुजफ्फरपुर

दिनांक : 21/09/22

DATE 21 SEP 2022  
NO. 05

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

नोट : कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटरी

THE ABOVE NOV. 2022 DATE IS FOR INFORMATION ONLY TO ME  
ADVOCATE KISHAKAR KUMAR IS NOTARIAL COPY IS FOR INFORMATION ONLY TO ME  
SATISFACTIONAL COPY IS FOR INFORMATION ONLY TO ME

Bishakar Kumar  
21/09/2022  
NOTARY AND ADV.  
CIVIL COURT, MUJAFI FUR

KM222705

ग्रामपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा  
शपथ-पत्र के साथ दी जाने वाली सूचनाओं का प्रपत्र

"मुजफ्फरपुर".....जिला के "नगर निगम"/"नगर पारिषद्"/"नगर पंचायत" के बीड़ी संख्या ..... से "पार्षद"/"उप प्रमुख-पार्षद"/"पुस्ति पार्षद" पद का नियंत्रण।

अभ्यर्थी का नाम-

स्त्री/पति का नाम-

विलापी

बिजेन्द्र-पौधी

1. क्या आप देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा कभी कार्रवास या अर्थदण्ड से दोषित किये गये हैं- "झूल्य"

(क) यदि हाँ, तो निम्न विवरण अंकित करें:- "झूल्य"

(i) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा दोषित किये गये- "झूल्य"

(ii) दोषित किये जाने की तिथि एवं वाद संख्या- "झूल्य"

(iii) किये गये अपराध की प्रकृति- "झूल्य"  
(अधिनियम एवं धाराओं का विवरण सहित)

(iv) दिया गया दण्ड- "झूल्य"

(v) काराधीन रहने की अवधि, यदि कोई हो- "झूल्य"

(vi) कार्रवास से मुक्त होने की तिथि- "झूल्य"

(ख) उपरोक्त दण्डादेश के विरुद्ध कोई अपील/पुनर्विचार का आवेदन दायर किया गया है या नहीं? "झूल्य"

(i) अपील संख्या/पुनर्विचार आवेदन पत्र, यदि कोई हो, का विवरण- "झूल्य"

(ii) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र दायर किया गया- "झूल्य"

(iii) क्या दायर अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र निष्पादित हो चुका है अथवा लंबित है- "झूल्य"

(iv) यदि निष्पादित है, तो "झूल्य"

(क) निष्पादन की तिथि- "झूल्य"

(ख) पारित आदेश का संक्षिप्त विवरण- "झूल्य"

(v) क्या अपील/पुनर्विचार आवेदन पत्र के विचारण के दौरान कोई जमानत दिया गया- "झूल्य"

(vi) यदि हाँ, तो जमानत पर मुक्त रहने की अवधि- "झूल्य"

(ग) क्या आप किसी न्यायालय में किसी अपराध में दोषमुक्त (acquittal) या उन्मोचित (discharge)

किये गये हैं, यदि हाँ तो निम्न विवरण दें- "झूल्य"

(i) न्यायालय जिसके द्वारा दोषमुक्त किये गये हैं- "झूल्य"

(ii) आरोप की प्रकृति एवं वाद संख्या- "झूल्य"

2. क्या आप नामांकन दाखिल करने की तिथि के छः माह पूर्व देश के भीतर या बाहर हैं, किसी लंबित मामले में आरोपित हैं और उसमें आरोप तैयार कर लिया गया है अथवा सक्षम विधि न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, जिसमें छः माह से ज्यादा की सजा हो सकती है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें:- "छूल्प"
- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- "छूल्प"
  - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/ संज्ञान लिया है- "छूल्प"
  - अपराध संख्या- "छूल्प"
  - आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- "छूल्प"
  - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/ पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- "छूल्प"

3. क्या आपके विरुद्ध उक्त कड़िका (2) में वर्णित मामले से भिन्न किसी अन्य मामले में देश के भीतर या बाहर किसी न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है? यदि हाँ, तो निम्न विवरण दें- "छूल्प"

- अधिनियम की धारा और अभियोग का विवरण जिसके लिये आरोपित है/ संज्ञान लिया गया है- "छूल्प"
  - न्यायालय जिसने आरोप तैयार किया है/ संज्ञान लिया है- "छूल्प"
  - अपराध संख्या- "छूल्प"
  - आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने का न्यायालय के आदेश का दिनांक- "छूल्प"
  - उपर्युक्त आरोप तैयार करने/ संज्ञान लेने के विरुद्ध अपील (अपीलों)/ पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र (पत्रों) यदि कोई हो तो उसका विवरण- "छूल्प"
4. यदि कोई निर्वाचन संबंधित अपराध लंबित हो, तो पूर्ण विवरण- "छूल्प"

5. अपनी परिसम्पत्ति अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित का विवरण निम्नवत है:-

(क) अचल सम्पत्ति:-

- कृषि भूमि :- "छूल्प"
  - शहरी भूमि- १.९ एकड़ी, एक छोमाला तोड़ी संस्थाल, प्रभाण-पर्यालग्न वर्टिगान बाजार छूल्प- ३०,००,०००/- (तीस लाख रुपये)
  - भवन- छूल्पारे पठानो एवं ६: एस, १०x१२ किंजीट जिल्हा छूल्पाला छूल्प- १०,००,०००/- (दस लाख रुपये)
- उपरोक्त की स्थिति, माप तथा वर्तमान बाजार मूल्य दिया जाए।

(ख) चल सम्पत्ति तथा उनकी वर्तमान कीमतः-

(i) नकद ₹,00000/-

मात्रिय दें छूट, ₹<sup>0</sup>  
बैंक बैंक- 5,000/-  
(बैंक का प्रिन्टआउट संलग्न करें।)

(iii) फिल्म डिपोजिट "शूट"

(प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

(iv) बीच, रोपर- "शूट"

(इसके प्रमाण की छायाप्रति संलग्न करें।)

(v) वाहन "शूट"

(निबंधन की छाया प्रति जिसका परिवहन  
पदाधिकारी की मुहर के साथ संलग्न करें।)

(vi) आपूर्यों का विवरण

(पूर्ण विवरण है।)

रोने का स्कॉलपूर्ष - (15 ग्राम)

खोने का कानला शुभला - (10 ग्राम)

रोने का गाना द्वार - (20 ग्राम)

रोने का चेन - (20 ग्राम)

पांडी का पाल - (100 ग्राम)

6. \*\*(क) अपने पति/पत्नी एवं आश्रितों सहित के दायित्वों/

वित्तीय संस्थाओं के बकायों का पूर्ण विवरण दिए जाएं

(प्रमाण-पत्रों के साथ) "शूट"

(ख) आगर के.सी.सी. है तो उसके अधितन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति "शूट"

7. अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण स्कूल व कॉलेज

के नाम के साथ अंकित करें- २-१९४

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही और सत्य हैं।

श्रीलालेश

अध्यर्थी का हस्ताक्षर

स्थान- भुजपुर

तिथि- 21/09/2022

\*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

\*\* वित्तीय संस्था/बैंक/सरकार/आयकर/वेत्त्य टैक्स/प्रोपर्टी टैक्स/विक्री कर संबंधी बकाया।

नोट :- सभी सम्पन्न निश्चित रूप से भरे जायें। जहाँ शून्य विवरण देना हो वहाँ "शून्य" अवश्य अंकित किया जाय।

सम्पन्न खाली छोड़ देने अथवा (X) चिह्न अंकित करने पर यह माना जायेगा कि अध्यर्थी इष्ट सूचना छिपाने

की चेष्टा की गई है और यह नामांकन पत्र रद्द करने का आधार बन सकता है।